कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 31 / 2025

श्री सुन्दरसिंह पुत्र बृजलाल ग्राम व पोस्ट आरसी तहसील नगर, जिला डीग राज0 321205

....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी ग्रामीण विकास / पंचायत अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर

....प्रत्य0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>आदेश</u> <u>दिनांक 14.07.2025</u>

अपीलार्थी श्री सुन्दरसिंह पुत्र बृजलाल ग्राम व पोस्ट आरसी तहसील नगर, जिला डीग राज0 की यह अपील सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के तहत इस आशय की प्राप्त हुई है, कि प्रार्थी / अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र तारीखी 13.05.2025 प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, से सूचना चाही गई थी, लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 562 दिनांक 23.06.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजकर प्रभारी अधिकारी ग्रामीण विकास / पंचायत अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी ग्रामीण विकास / पंचायत अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर से पत्र क्रमांक आरटीआई / 2025 / 1540 दिनांक 04.07.2025 से जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी / प्रार्थी का अपील में कथन है कि लोक सूचना अधिकारी से चाही गई बिन्दूओं की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, प्रार्थी ने चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी पंचायत अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर के जवाब पत्र क्रमांक पंचायत / आरटीआई / 2025 / 1540 दिनांक 04.07.2025 का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी के उक्त जबाब से जाहिर है कि अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति नगर एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चिरावलमाली से सम्बन्धित होने के

___2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील / आरटीआई / 31 / 2025
सुन्दर सिहं बनाम लो.सू.अ. प्र.अधि. पंचायत अनु0 कलै0

कारण, प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी पंचायत अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र वगे0 जरिये पत्र क्रमांक / 1519–20 दिनांक 17.6.2025 से सम्बन्धित को भेजा जाकर चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस प्रकार उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी पंचायत अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर के स्तर पर सूचना लम्बित नहीं है।

अतः अपीलार्थी / प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे चाही गई सूचना के सम्बन्ध में विकास अधिकारी पंचायत समिति नगर एवं ग्रांम विकास अधिकारी ग्रांम पंचायत चिरावलमाली से सम्पर्क करें तथा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने पर सक्षम अधिकारी प्रधान, पंचायत समिति नगर के यहॉ अपील की जा सकती है। उक्तानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, पंचायत अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर को एवं निर्णय की एक प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर